बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 255044   पटना, दिनांक 16-12-2015

ग्रा0वि07(आवं0)-57/2013

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
बिहार, (पटना जिला को छोड़कर) ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत e-FMS व्यवस्था के तहत मेकर (1st Signatory) तथा चेकर (2nd signatory) के संबंध में अतिरिक्त दिशा निदेश ।**

प्रसंग :- **विभागीय पत्रांक 235175 दिनांक 16.06.2015 एवं विभागीय पत्रांक 193428 दिनांक 22.07.2014 ।**

महाशय,

आप अवगत है कि मनरेगा अंतर्गत e-FMS व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा प्रखण्ड स्तर पर लेखापाल (मनरेगा) एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रखण्ड लेखापाल (नाजिर) को मेकर (1st Signatory) तथा कार्यक्रम पदाधिकारी को चेकर (2nd signatory) नामित किया गया है । साथ ही जिला स्तर पर निदेशक, डी0आर0डी0ए0 को मेकर (1st Signatory) तथा उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को चेकर (2nd signatory) नामित किया गया है ।

कतिपय जिलों में उपरोक्त् पदों में से कुछ पदों के रिक्त रहने के कारण जिलों में e-FMS व्यवस्था के तहत मेकर (1st Signatory) तथा चेकर (2nd signatory) का प्रभार देने के संबंध में मार्गनिदेश की अपेक्षा की गई है ।

इस क्रम में सम्यक विचारोंपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि

1. प्रभार देते समय निश्चित रूप से यह ध्यान में रखा जाय कि किसी भी परिस्थिति में मेकर (1st Signatory) तथा चेकर (2nd signatory) एक ही कर्मचारी/पदाधिकारी नहीं हो ।
2. प्रखण्ड स्तर पर लेखापाल (मनरेगा) की अनुपस्थिति (पद रिक्त होने पर) में मेकर (1st Signatory) के प्रभार में प्रखंड लेखापाल (नाजिर) रहेंगे । तदनुसार डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे ।
3. प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रखण्ड स्तर पर चेकर (2nd signatory) के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रहेंगे । तदनुसार डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे ।

4. जिला स्तर पर मेकर (1st Signatory)/निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का पद रिक्त होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी समकक्ष पदाधिकारी, जो निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के प्रभार में रहेंगे तथा जो निदेशक, डी0आर0डी0ए0 से अन्यून स्तर के हो, को मेकर (1st Signatory) नामित करेंगे । यदि उप विकास आयुक्त निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के प्रभार में रहेंगे तो जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी अन्य पदाधिकारी, जो निदेशक, डी0आर0डी0ए0 से अन्यून स्तर के हो को मेकर (1st Signatory) नामित करेंगे । तदनुसार डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे ।

5. जिला स्तर पर चेकर (2nd signatory)/उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक का पद रिक्त होने पर जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी समकक्ष पदाधिकारी, जो उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रभार में रहेंगे तथा जो उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक से अन्यून स्तर के हो, को चेकर (2nd signatory) नामित करेंगे । यदि निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रभार में हो तो जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी अन्य पदाधिकारी, जो उप विकास आयुक्त से अन्यून स्तर के हों, को चेकर (2nd signatory) नामित करेंगे । तदनुसार डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे ।

6. पूर्व के निदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

10/12/2015

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव